


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


॥ शुद्धि-पत्र ॥

पटना-15, दिनांक- 22-10-18

संख्या-12/प0 1008/10-सा0प्र0- 13926 / विभागीय शुद्धि पत्र सं0-13810 दिनांक 12.10.2018 की तीसरी पंक्ति में अंकित पदाधिकारी का नाम श्रीमती कुमारी अनुपम सिंह के स्थान पर शुद्ध रूप में पदाधिकारी का नाम श्रीमती कुमारी अनुपम सिंह पढ़ा जाय ।
अधिसूचना सं0-5604 दिनांक 27.4.2018 एवं शुद्धि पत्र सं0-13810 दिनांक 12.10.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/प0 1008/10-सा0प्र0- 13926 / पटना-15, दिनांक- 22-10-18
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/आप्त सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, सभी संबंधित विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा 2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव